



# मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

फोन—0565—2470360, 2471090 बेवसाईट [www.mvda.in](http://www.mvda.in)

---

## संशोधित सूचना

मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित रूक्मणी विहार आवासीय योजना, होटल एवं आश्रम मठ भूखण्ड, चैतन्य विहार आवासीय योजना में व्यवसायिक भूखण्ड एवं कैलाश नगर आवासीय योजना में व्यवसायिक दुकानों को नीलामी के माध्यम से विक्रय हेतु दिनांक 07.08.2015 से 26.08.2015 तक योजना खोलते हुए दिनांक 27.08.2015 में नीलामी रखी गयी थी जिसकी सार्वजनिक सूचना हिन्दुस्तान एक्सप्रेस, फाईनेशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, सहित अन्य समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण बेवसाईट पर जारी की गयी थी । अपरिहार्य कारणों से योजना को दिनांक 08.09.2015 तक बढ़ाते हुए दिनांक 09.09.2015 में नीलामी प्रस्तावित है । अन्य नियम व शर्तें पूर्व की भांति रहेंगी ।

सचिव



कार्यालय :-मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,  
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

---

सार्वजनिक सूचना

शासनादेश सं० 2604/आठ-1-15-01विविध/2000 दिनांक 10.08.2015 द्वारा वन टाईम सेटेलमेन्ट योजना (ओटीएसयोजना) का संचालन किया गया है । इस योजना के प्रारम्भ तिथि से 90 दिन के अन्तर्गत (दिनांक 08.11.2015 तक) प्राधिकरण के डिफाल्टर आवंटी नियमानुसार प्राधिकरण से आवेदन प्राप्त कर उसे भरते हुए प्रोसेसिंग फीस एवं प्रारम्भ धनराशि के साथ जमा कर आवेदन कर सकते हैं । इस योजना के अन्तर्गत पैन्ल ब्याज की भारी छूट प्राप्त कर अवशेष धनराशि नियमानुसार जमा कराते हुए अपनी सम्पत्ति का बैनामा/पट्टा निष्पादित करा सकते हैं ।

सचिव